भारत | INDIA

USCIRF– RECOMMENDED FOR COUNTRIES OF PARTICULAR CONCERN (CPC)

यू.एस. कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजस फ्रीडम (USCIRF) द्विदलीय U.S.संघीय सरकारी आयोग है जो विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की निगरानी करता है। 1998 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) द्वारा बनाया गया USCIRF विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करता है एवं राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस के लिए नीतिगत अनुशंसाएँ करता है। USCIRF यू.एस. विदेश मंत्रालय से पृथक एवं भिन्न एक स्वतंत्र संस्था है। 2021 की वार्षिक रिपोर्ट जमीनी तौर पर हुए दुर्व्यवहारों को प्रलेखित करने के लिए कमिश्नर और पेशेवर स्टाफ द्वारा किए गए एक वर्ष के काम के समापन को प्रस्तुत करती है और यू.एस. सरकार के लिए स्वतंत्र नीतिगत अनुशंसाएँ करती है। 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के मामले शामिल हैं, यद्यपि कुछ मामलों में इस समयावधि के पहले और बाद घटे कुछ मामले उल्लेख किए गए हैं। USCIRF के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट यहाँ, देखें, या USCIRF से सीधे 202-523-3240 पर संपर्क करें।

प्रमुख निष्कर्ष

2020 में, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता स्थितियाँ अपने नकारात्मक प्रक्षेपपथ पर जारी रहीं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक स्वतंत्रता का सुव्यवस्थित, अविरत और घोर उल्लंघन हुआ। 2020 की शुरुआत में, धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) - भारत में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों हेतु नागरिकता के लिए एक तेज़ मार्ग - के पारित होने से CAA के खिलाफ, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और व्यापक रूप से मुसलमानों को लक्षित करने वाली, सरकारी और गैर सरकारी हिंसा को उकसाया गया।

फरवरी में, दिल्ली में तीन दशकों से अधिक समय की सबसे खराब हिंदू-मुस्लिम भीड़-हिंसा भभकी। 50 से अधिक लोग मारे गए और 200 अन्य घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाली भीड़ दंडाभाव के साथ मुस्लिमों को अलग करने, मस्जिदों पर हमला करने और बहुसंख्यक मुस्लिम मुहल्लों में घरों और व्यवसायों को नष्ट करने के लिए क्रूर बल का उपयोग कर रही थी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जाँच की और पाया कि हिंसा और पुलिस की बर्बरता और मिलीभगत के आरोप " एक निश्चित समुदाय को सबक सिखाने के लिए सुनियोजित और निर्देशित प्रतीत होते थे जिसने एक भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत की थी।" COVID-19 चिंताओं के चलते, मार्च में पुलिस ने दिल्ली में शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन को साफ करवाया जो कि मुस्लिम और गैर-मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व वाला एक शांतिपूर्ण धरना था जो 100 से अधिक दिनों तक चला था।

एक प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के संयोजन में जो सभी आवासियों के द्वारा नागरिकता के दस्तावेज प्रदान किया जाना आवश्यक बनाता है, CAA मुसलमानों को विशेष रूप से, "राज्यविहीनता, निर्वासन या लंबे समय तक नजरबंदी" के अधीन कर सकता है। पूर्वोत्तर राज्य असम एक डरावना उदाहरण प्रदान करता है: 2019 में, असम में एक राज्यव्यापी NRC लागू किया गया था जिसने अंततः 19 लाख निवासियों (मुस्लिम और हिंदू दोनों) को नागरिकता रजिस्टर से बाहर कर दिया गया। कुछ मामलों में, जो परिवार पीढ़ियों से भारत में रहते थे, उन्हें बाहर कर दिया गया; अन्य मामलों में, नागरिकता रजिस्टर में परिवार के एक सदस्य को तो शामिल किया गया, जबकि दूसरे को नहीं किया गया। बहिष्करण के परिणाम – जैसा कि असम में बनाए जा रहे एक बड़े नजरबंदी शिविर का उदाहरण है - संभावित रूप से विनाशकारी हैं और यदि इसे अन्य राज्यों तक या राष्ट्रव्यापी रूप से विस्तारित किया गया तो ऐसे कानून के प्रभाव के बारे में चिंता को रेखांकित करते हैं। USCIRF ने मार्च की सुनवाई में नागरिकता कानूनों के इस शस्त्रीकरण और अत्याचारों की संभावना पर प्रकाश डाला।

महत्वपूर्ण चिंताओं को उठाने वाली नीतियों का एक और समुच्चय - और जिसके परिणामस्वरूप प्रायः हिंसा होती है - "जबरन धर्म परिवर्तन" के झूठे कथन का उपयोग करके अंतरधर्मी विवाह या संबंधों को प्रतिबंधित करने के प्रयास हैं। 2020 के उत्तरार्ध में, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश ने "गैरकानूनी धर्मांतरण या इसके विपरीत के एकमात्र उद्देश्य" के लिए आयोजित किसी भी विवाह को रद्द करने वाला एक अध्यादेश पारित किया। इसी तरह के कानून को मध्य प्रदेश में मंजूरी दी गई और इसे हरियाणा, असम और कर्नाटक सहित कई राज्यों में लाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने अंतरधर्मी संबंधों के मीडिया के चित्रण का बहिष्कार और संसरशिप के आह्वान समेत अंतरधर्मी रिश्तों या सगाईयों की निंदा करते हुए भड़काऊ अभियान भी चलाए। अंतर्धर्मी रिश्तों को लक्षित करने और उन्हें अवैध बताने के इन प्रयासों ने गैर-हिन्दुओं पर हमले और गिरफ्तारी और किसी भी अंतर्धर्मी अंतःक्रिया के प्रति वैमनस्य, संदेह और हिंसा का परिणाम दिया है।

सितंबर में, भारतीय संसद ने गैर सरकारी संगठनों (NGO) पर प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन किया, जिससे नागरिक समाज का और दम घट गया और धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वालों सहित धार्मिक संगठनों और मानवाधिकार संगठनों को बंद होने पर मजबूर किया गया। अधिकारियों द्वारा इसके बैंक खाते को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अक्टूबर में परिचालन बंद कर दिया।

COVID-19 महामारी की शुरुआत में, गलत जानकारी और घृणित शब्दाडंबर - जिसमें सरकारी अधिकारियों से दिया गया भी शामिल है - जो अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों की ओर लक्षित था, उसमें परचित पैटर्न जारी रहे। ग़लत जानकारी और असहिष्णु विषय़-वस्तु ने हाल के वर्षों में धमकी, उत्पीड़न और भीड़ की हिंसा को प्रोत्साहित किया, जिसमें मुख्य रूप से दलितों, मुस्लिमों, ईसाईयों, आदिवासियों और अन्य धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा के अनगिनत उदाहरण शामिल हैं।

.सरकारी कार्रवाई - जिसमें बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के आरोपी सभी व्यक्तियों को बरी करना शामिल है – और साथ ही धार्मिक हिंसा को संबोधित करने की ओर सरकारी निष्क्रियता ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वालों के लिए दंडाभाव की संस्कृति में योगदान किया। साथ ही, असम्मति व्यक्त करने वालों पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें CAA और अन्य सरकारी कार्रवाइयों (निष्क्रियताओं) की उनकी वास्तविक या कथित आलोचना के लिए देशद्रोह का आरोप लगाना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के अधिकारियों ने आलोचना के सरकार के दमन पर चिंता व्यक्त की।

यू.एस. सरकार के लिए अनुशंसाएँ

- भारत को एक सुनियोजित, अविरत, और घोर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों में संलग्न होने और इन्हें सहन करने के लिए "विशेष चिंता के देश" या CPC के रूप में निर्दिष्ट करें जैसा कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) द्वारा परिभाषित किया गया है;
- धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों और संस्थाओं पर उन व्यक्तियों या संस्थाओं की परिसंपत्तियों को फ्रीज करके और/या अमेरिका में उनके प्रवेश पर रोक लगा कर लक्षित शास्तियों को अधिरोपित करें;
- भारत में सभी धार्मिक समुदायों के मानव अधिकारों को आगे बढ़ाए और मिनिस्टीरियल ऑफ दि क्वाड्रिलेटरल जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों और समझौतों के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता और गरिमा और अंतर्धर्मी संवाद को बढ़ावा दें; और
- धार्मिक स्वतंत्रता के अविरत उल्लंघनों की निंदा करें और उन धार्मिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों को सहयोग करें जो धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत के कारण लक्षित किए जा रहे हैं।

यू.एस. कांग्रेस को चाहिए कि:

- यू.एस.-भारत द्विपक्षीय संबंधों में धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताओं को उठाना और सुनवाईयों, ब्रीफिंग्स, पत्रों और कांग्रेस संबंधी प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से चिंताओं पर प्रकाश डालना जारी रखे।

प्रमुख **USCIRF** संसाधन एवं गतिविधियाँ

- सुनवाई*:* नागरिकता कानून और धार्मिक स्वतंत्रता
- सुनवाई*:* धार्मिक समुदायों को लक्षित करने वाली ऑनलाइन हेट स्पीच और भेदभाव के खिलाफ लडना
- संक्षेप में समस्या*:* भारत में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के धार्मिक स्वतंत्रता के निहितार्थ
- तथ्यशीट*:* भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम

पृष्ठभूमि

भारत धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद की समृद्ध परंपरा वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 1.3 अरब से अधिक है: 79.8 प्रतिशत हिंदू, 14.2 प्रतिशत मुस्लिम, 2.3 प्रतिशत ईसाई और 1.7 प्रतिशत सिख हैं। छोटे धार्मिक समूहों में बौद्ध, जैन, बाहाई, यहूदी, ज़ोरास्ट्रियन (पारसी) और गैर-धर्मी लोग शामिल हैं। भारत का संविधान राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष के रूप में स्थापित करता है, और अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें धर्म का अभ्यास, स्वीकार और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। फिर भी, हाल ही के वर्षों में, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कानूनों और नीतियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू करके संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को चुनौती दी है, जिससे धर्म या आस्था और संबंधित अधिकारो की स्वतंत्रता को गंभीर चुनौती मिली है। पूरे 2020 के दौरान, केंद्र और राज्य सरकार के इन सुनियोजित, अविरत और घोर उल्लंघनों को करने और सहने का परिणाम धार्मिक स्वतंत्रता का बढ़ता हुआ दमन और धार्मिक अल्पसंख्यकों, मानव अधिकार समर्थकों और ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले अन्यों के प्रति बढ़ती हुई शत्रुता हुआ है।

धर्मांतरण विरोधी कानून

धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भारत के संवैधानिक संरक्षण के बावजूद, भारत के 28 राज्यों में से लगभग एक-तिहाई धार्मिक अल्पसंख्यकों से कथित धमकियों से प्रमुख धर्म की रक्षा के लिए धर्मांतरण को प्रतिबंधित या निषिद्ध करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नया कानून विशेष रूप से अंतर्धर्मी विवाह को लक्षित करता है, कई अन्य राज्यों में बल, प्रलोभन, लालच, ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, या गलत बयानी सहित अस्पष्ट मानदंडों के आधार पर धर्मांतरण पर प्रतिबंध है। ये धर्मांतरण विरोधी कानून प्रायः गैर-हिंदुओं के खिलाफ झूठे आरोपों, उत्पीड़न और हिंसा के आधार पर होते हैं जो दंडाभाव वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, 2020 में, जबरन धर्मांतरण के झूठे आरोपों से भड़की भीड़ ने ईसाईयों पर हमला कर दिया, चर्चों को नष्ट कर दिया और धार्मिक पूजा सेवाओं को बाधित किया। कई मामलों में, अधिकारियों ने इन दुर्व्यवहारों को नहीं रोका और अपराधियों की जवाबदेही तय करने की दलीलों की उपेक्षा करने या जाँच नहीं करना चुना। इसने भीड़ द्वारा होने वाले हमलों में वृद्धि और आगे आने वालों के खिलाफ प्रतिशोध का डर पैदा करने में योगदान दिया। धार्मिक अल्पसंख्यक एक राष्ट्रीय धर्मांतरण विरोधी कानून और अतिरिक्त राज्य-स्तरीय कानूनों की संभावना के बारे में चिंतित रहते हैं।

और हिंसा का भड़काव

मुस्लिमों, ईसाईयों और दलितों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत और गलत जानकारी फैलाने के लिए, सरकारी अधिकारियों और नॉन-स्टेट एक्टर्स ने सोशल मीडिया और संचार के अन्य रूपों का उपयोग करना जारी रखा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि 2020 में, CAA विरोध प्रदर्शनों और COVID-19 महामारी के बारे में व्यापक रूप से ग़लत जानकारी ने विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और सीमांत समुदायों को निशाना बनाया, महिलाओं को अनुपातहीन रूप से प्रभावित किया। दलितों ने, जिन्होंने लंबे समय से जीवन के सभी पहलुओं में धार्मिक-आधार पर भेदभाव का सामना किया है, COVID -19 महामारी के दौरान अधिक उत्पीड़न और भेदभाव का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त, गलत जानकारी – साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी जाने वाली छवियों - ने धार्मिक समुदायों को गोहत्या और अन्य कथित अपराधों में फँसाया, जिसके परिणामस्वरूप 120 से अधिक बड़ी हिंसाएँ हुई हैं। गोहत्या को लेकर उत्साह नीति में जड़ जमाता जा रहा है: दिसंबर में, कर्नाटक राज्य ने वध के लिए मवेशियों के परिवहन, बिक्री और खरीद के लिए जुर्माना और कारावास की सजा देने के लिए एक पूर्व के बिल को संशोधित किया।

जम्मू और कश्मीर में धार्मिक स्वतंत्रता

मुस्लिम बहुल जम्मू और कश्मीर में, आंदोलन करने और एकत्रित होने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों ने धार्मिक स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिसमें धार्मिक पवित्र दिनों को मनाना और प्रार्थनाओं में भाग लेने की क्षमता शामिल है। लगभग 18 महीनों तक इंटरनेट का बंद होना - किसी भी लोकतंत्र में सबसे लंबा बंद - और संचारों पर अन्य प्रतिबंध महत्वपूर्ण व्यवधान और सीमित धार्मिक स्वतंत्रता का कारण बने।

FCRA और अन्य कानूनों के माध्यम से सिविल सोसाइटी के लिए स्थान बंद करना

पूरे 2020 के दौरान, मानवाधिकारों के अधिवक्ताओं और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर मीडिया रिपोर्टिंग सहित सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने धमकी और उत्पीड़न का सामना किया। सरकारी अधिकारियों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अधिवक्ताओं, मीडिया और शिक्षाविदों पर रोक लगाने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य अधिनियमों का उपयोग किया।

राष्ट्रीय सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों, विशेषरूप से धार्मिक और मानवाधिकार संगठनों की संलग्नता और समर्थन को सीमित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। FCRA गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को मिलने वाली विदेशी निधियों की आमद को नियंत्रित करता है। सितंबर में, FCRA को गैर-सरकारी संगठनों पर अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधित किया गया, जिसमें विदेशी धन की उस राशि को कम करना शामिल है जिसका उपयोग प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जा सकता है और यह आवश्यक बनाया गया कि खातों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंक में रखा जाए। हाल ही के वर्षों में, सरकारी अधिकारियों ने हजारों एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिए, जिनमें अनगिनत ईसाई और अन्य धार्मिक और मानवाधिकार संगठन शामिल हैं।

प्रमुख यू.एस. नीति

2020 में, संयुक्त राष्ट्र और भारत ने अपने संबंधों को सशक्त किया, विशेषरूप से सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्रों में। फरवरी में, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने भारत का दौरा किया, और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला। अक्टूबर में, तत्कालीन विदेश मंत्री माइकल आर. पोम्पियो ने तीसरी यू.एस.-भारत 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए भारत की यात्रा की, जहाँ दोनों सरकारों ने बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

कांग्रेस के कई सदस्यों ने भारत में CAA और अन्य मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए, सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज़ (डी-एनजे), सेनेट विदेश संबंध समिति के रैंकिंग सदस्य, ने "इन चिंताओं पर उच्चतम स्तर पर भारत सरकार को संलग्न करने, इन नीतियों और प्रथाओं के त्वरित उलटाव के लिए दबाव डालने, और भारत में सभी व्यक्तियों के उनके धर्म की परवाह किए बिना मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने" के लिए प्रशासन से आग्रह किया।